

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

1. अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा
गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक: सेवाये-3/ ५९६६-७२ / 2017-18 दिनांक ११ जून 2017
विभागान्तर्गत प्रदेश के समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या: 155 / XXX(2) / 17-3(2)2006 दिनांक 18 मई 2017 द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त दुए हैं। उक्त शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार वर्ष 2017 में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण शासनादेश संख्या: 588 / XXX(2) / 2008, दिनांक 29 मई 2008 में जारी की गयी स्थानान्तरण नीति के अनुसार ही किये जाने हैं। शासनादेश की प्रति संलग्न की जा रही है।

उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित करना है कि आपके मण्डल/जनपद/खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय/उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं विद्यालयों में कार्यरत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रधान सहायक तथा वैयक्तिक सहायक एवं वाहन चालक के स्थानान्तरण आवेदन पत्र जो आपके स्तर पर प्राप्त हों, संकलित कर देतनकमानुसार सूची सहित दिनांक 10 जून 2017 तक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय को आवश्यक रूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही एक स्थान पर दिनांक 31.05.2017 को तीन वर्ष से अधिक ठहराव वाले उक्त श्रेणी के कार्मिकों की सूचना नियत तिथि तक संकलित कर निम्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्र. सं.	कार्मिक का नाम/ पदनाम	वर्तमान संस्था	जन्म तिथि	राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	वर्तमान पद पर कार्य करने की तिथि	वर्तमान कार्यालय पर कार्य करने की तिथि	अन्युक्ति	
							कब से	कब तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9

उक्त के क्रम में यह भी निर्देशित करना है कि आपके स्तर से भी जिन कार्मिकों के स्थानान्तरण किये जाने हों, वह नियमानुसार निर्धारित अवधि तक करना सुनिश्चित करें।
संलग्न:- यथोपरि।

भवदीष
चूक्ति ११.६.२०१७
(आरक्षे० कुर्वर)

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि:- निम्नांकित वो इस अनुरोध के साथ कि वे भी अपने अधिष्ठान में 03 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत कार्मिकों की सूचना उक्तानुसार प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
4. अपर निदेशक, एस०सी०इ०आर०टी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. उप निदेशक, लेखा-स्थापना, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

चूक्ति ११.६.२०१७
(आरक्षे० कुर्वर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

456
30-5-17

संख्या /९५ /XXX(2)/17-32)2006

प्रेषक,

राजा रत्नेंद्री
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

- 1-समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
- 2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
- 3-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

सेवा -3/प्रिवि.
कृष्ण
अपर मिशन
30-5-17

कार्मिक अनुसारण-2

देहरादून: दिनांक: 19 मई, 2017

विषय:- सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में विभिन्न सेवाओं के अन्तर्गत प्रशासन में स्वच्छता व कर्मचारियों के कार्य में निष्पक्षता तथा सुगम एवं दुर्गम स्थानों को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक स्थानान्तरण नीति कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 588/XXX(2)/2008, दिनांक 29 मई 2008 द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त आनन्दरण नीति में यह उल्लेख भी किया गया है कि यह स्थानान्तरण नीति जब तक शासन द्वारा विख्यापित न कर दी जाय, यथावत लागू रहेगी। लोकहित में तथा विशेष परिस्थिति में इस नीति अथवा नीति के आधार पर कियान्वयन में किसी भी परिवर्तन हेतु मात्र मुख्यमंत्री जी का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।

2- अतः इस संबंध में शासन द्वारा सम्बन्धित विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2017 में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण 2008 में जारी की गई स्थानान्तरण नीति के अनुसार ही किये जायेंगे। यदि किसी विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण उक्त नीति में छूट/विचलन अपेक्षित हो, तो ऐसी कार्यवाही कार्मिक विभाग के माध्यम से मात्र मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करके की जा सकेगी। अतः वर्ष 2017 में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण शासनादेश संख्या-588/XXX(2)/2008, दिनांक 29 मई 2008 में निर्धारित स्थानान्तरण नीति के आधार पर करने का कष्ट करें।

4- अतः शासन द्वारा विचारोपरान्त वर्तमान सत्र हेतु वार्षिक स्थानान्तरण की समयावधि दिनांक 30 जून, 2017 निर्धारित किये जाने का भी निर्णय लिया गया है। कृपया निर्धारित अवधि दिनांक 30 जून, 2017 तक वार्षिक स्थानान्तरण की कार्यवाही पूर्ण करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजा रत्नेंद्री)
प्रमुख सचिव।